

## राजस्थान कॉन्ट्रेक्टुअल हायरिंग टू सविलि पोस्ट रूलस, 2022 लागू

### चर्चा में क्यों?

22 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 'राजस्थान कॉन्ट्रेक्टुअल हायरिंग टू सविलि पोस्ट रूलस, 2022' लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये नियम राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संवदािकर्मियों पर लागू होंगे।

### प्रमुख बंदि

- प्रदेश के 1 लाख 10 हज़ार से भी अधिक संवदािकर्मियों को इन नियमों के दायरे में लाकर लाभान्वति कयिा जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि केंद्रीय प्रवर्तति एवं राज्य सरकारों की विभिन्न जनकल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं की क्रयिान्वति में ये संवदािकर्मी महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिते रहे, लेकिन इनकी सामाजिक सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया। यहाँ तक कि कई राज्यों में तो इनका मानदेय तक नहीं बढ़ाया गया।
- इस नरिणय से शकिषा विभाग के शकिषा कर्मी, पैरा टीचर्स, ग्राम पंचायत सहायक, अंगरेजी माध्यम अध्यापक सहति कुल 41423 संवदािकर्मी, ग्रामीण वकिसा एवं पंचायती राज विभाग के राजीवकिा व मनरेगा के कुल 18326, अल्प संख्यक विभाग के 5697 मदरसा पैरा टीचर्स, चकितिसा एवं स्वास्थ्य विभाग व चकितिसा शकिषा विभाग के 44833 संवदािकर्मियों सहति कुल 1 लाख 10 हज़ार 279 संवदािकर्मी इन नियमों से लाभान्वति होंगे।
- राजस्थान कॉन्ट्रेक्टुअल हायरिंग टू सविलि पोस्ट रूलस, 2022 के लागू होने से संवदािकर्मियों की भरती पारदर्शी तरीके से हो सकेगी तथा इसमें आरक्षण का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही जो संवदािकर्मी 5 साल तक काम कर लेंगे, भवषिय में उन पदों के नयिमति होने पर उन्हीं संवदािकर्मियों में से सकरीनगि कर उन्हें स्थायी कयिा जा सकेगा।
- नियमों में यह भी ध्यान रखा गया है कि किसि पद को किसि स्थायी पद के समकक्ष माना जाए, इसी आधार पर इन संवदािकर्मियों के लयिे मानदेय का नरिधारण कयिा गया है और स्पेशल पे प्रोटेक्शन का प्रावधान भी रखा गया है। नयिमति होने पर इन कर्मियों को ओ.पी.एस. का लाभ भी दयिा जाएगा।
- संवदािकर्मियों को नयिमति करने को लेकर समय-समय पर कई कमेटियॉ बनीं, लेकिन इनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सका।
- वदिति है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में संवदािकर्मियों का विभागवार कैंडर बनाने और वर्ष 2022-23 के बजट में इनके मानदेय में 20 प्रतिशत वृद्धि कयिा जाने की घोषणा की थी।